वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली.110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi- 110 001

No. 5-1(814)/2022-पीडी Dated 17.11.2026

प्रेषक : संयुक्त सचिव (प्रशासन)

सेवा में: सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान

विषय: सीएसआरपी, 2025 के प्रावधानों के अंतर्गत मूल्यांकन पदोन्नति के 'अवसरों' की गिनती के स्पष्टीकरण के संबंध में।

महोदय/ महोदया,

मुझे यह बताने का निदेश दिया गया है कि इस कार्यालय को सीएसआरपी, 2025 के प्रावधानों के तहत असेसमेंट प्रमोशन के 'अवसरों' की गिनती कैसे की जाए, इस पर स्पष्टीकरण मांगने वाला एक संदर्भ प्राप्त हुआ है। महानिदेशक, सीएसआईआर ने सीएसआरपी नियम, 2025 के नियम 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इस पर विचार किया और इसे मंजूरी दी है। तदनुसार, निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिया जाता है:

1. नियम 18 (अथवा नियम 36 के अंतर्गत नियम 7.6, CSRAP 2001 के अधीन माने गए प्रावधान) के तहत विधिवत गठित मूल्यांकन समिति द्वारा किया गया प्रत्येक औपचारिक मूल्यांकन, जिसमें किसी अभ्यर्थी का मूल्यांकन किया गया हो तथा उसे "पदोन्नति के लिए अभी उपयुक्त नहीं" (Not Yet Fit for Promotion) पाया गया हो, को संबंधित ग्रेड में अभ्यर्थी के खाते में एक प्रयुक्त अवसर (Availed Chance) के रूप में दर्ज किया जाएगा।
2. 01.01.2026 से पहले किसी वैज्ञानिक का उसके वर्तमान ग्रेड में किया गया कोई मूल्यांकन नियम 36 के तहत सुरक्षित माना जाएगा। एक मौजूदा वैज्ञानिक जिसे 01.01.2026 से पहले एक बार पदोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है तो उसे सीएसआरएपी नियम, 2025 के अधीन अपने दूसरे अवसर (80% थ्रेसहोल्ड) पर प्रवेश मिलेगा; यदि कोई 01.01.2026 से पहले दूसरी बार पदोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है तो उसे सीएसआरएपी नियम, 2025 के अधीन अपने तीसरे अवसर (75% थ्रेसहोल्ड) पर प्रवेश मिलेगा ।
3. जहाँ प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण एकाधिक मूल्यांकन वर्षों का मूल्यांकन एक साथ कम अंतराल पर किए जाना हो तो प्रत्येक मूल्यांकन में एक भिन्न सेवा-अवधि और एक भिन्न कार्य रिपोर्ट का आकलन किया जाता है। "पास/उपयुक्त" होने का अर्थ पदोन्नति है, जबकि "फेल/अभी उपयुक्त नहीं" का अर्थ पदोन्नति न मिलना और एक अवसर समाप्त हो जाना है ।
4. कोई वैज्ञानिक जिसने 2001 और 2025 की व्यवस्था में तीन संचयी अवसरों का उपयोग किया है तो उसे सीएसआरएपी नियमावली, 2025 के तहत एफसीएस पाइपलाइन से तुरंत हटा दिया जाएगा और यदि स्वीकार्य है तो नियम 18 (जे) के एमएसीपी प्रावधानों के तहत विशेष रूप से विनियमित किया जाएगा ।

भवदीय,

(वंदना दिग्विजय सिंह)
उप सचिव (नीति प्रभाग)

प्रतिलिपि :
1. अध्यक्ष, आरएबी
2. निदेशक, सीएसआईआर-सीसीएमबी के दिनांक 24.09.2026 पत्र के संदर्भ में

3. प्रमुख, आरएबी
4. महानिदेशक, सीएसआईआर का कार्यालय
5. संयुक्त सचिव (प्रशासन), सीएसआईआर का कार्यालय
6. वित्तीय सलाहकार, सीएसआईआर का कार्यालय
7. विधि-सलाहकार, सीएसआईआर का कार्यालय
8. सीएसआईआऱ प्रय़ोगशालाओं/संस्थानों/एककों के वरि. उप सचिव/ वरि. प्रशासन नियंत्रक/ उप सचिव/ प्रशासन नियंत्रक/ अवर सचिव/ प्रशासन अधिकारी
9. सीएसआईआर वेबसाइट
10. कार्यालय प्रति